शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 4, pp (193-202), Month: Dec. 2018

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता

डॉ0 (श्रीमति) नीरज
असि0प्रोफे0, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महिला महाविद्यालय, कुरावली, मैनपुरी (उ0प्र0), भारत ।
Email: dr 0205neeraj@gmail.com

सारांश

महिलाएँ अपनी राजनैतिक कार्यक्षमता, बौद्धिकता, सामाजिकता तथा मानसिक योग्यता के दम पर अनेक उपलब्धियाँ हासिल कर लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं एवं नित्य नये–नये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, परन्तु पुरूष वर्ग महिलाओं की इन सफलताओं का नजर अन्दाज कर रहा है और राजनीति में महिलाओं की करवट ले रही शक्ति को एक औपचारिकता मात्र समझता है। महिलाओं को पुरूषों की इस समझ को बदलना होगा जिससे पुरूषों की प्रभुत्ववादी सोच में परिवर्तन लाया जा सके।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है, उन्हें राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता से अवगत कराया जाय। उन्हें उनके कार्यों में प्रोत्साहन व सहयोग दिया जाय। महिला सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता व राजनैतिक, सामाजिक अधिकारों से अवगत कराया जाय। राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी का अवसर देना, उन पर एहसान नहीं बल्कि महिलाओं का यह स्वयंभू अधिकार है। महिलाओं में सकारात्मक राजनीतिक धारणा तथा आत्म–विष्वास विकसित हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वे पुरूषों से किसी भी प्रकार से कम क्षमता नहीं रखती है। आज आवश्यकता इस तथ्य की है कि उन्हें सहयोग, शिक्षा तथा प्रशिक्षण एवं राजनैतिक पद देकर, उन्हें उनकी चरम क्षमता से अवगत कराया जाय।

***मुख्य शब्द*–** *भारतीय राजनीति, मतदान व्यवहार, महिला सहभागिता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा।*

प्रस्तावना

महिलाएँ अपनी राजनैतिक कार्यक्षमता, बौद्धिकता, सामाजिकता तथा मानसिक योग्यता के दम पर अनेक उपलब्धियाँ हासिल कर लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं एवं नित्य नये–नये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, परन्तु पुरूश वर्ग महिलाओं की इन सफलताओं का नजर अन्दाज कर रहा है और राजनीति में महिलाओं की करवट ले रही शक्ति को एक औपचारिकता मात्र समझता है। महिलाओं को पुरूषों की इस समझ को बदलना होगा जिससे पुरूषों की प्रभुत्ववादी सोच में परिवर्तन लाया जा सके।

मेरे इस विषय का उद्देश्य भारत में महिलाओं की मतदान व्यवहार की दशाओं को बताना है तथा मतदान व्यवहार में महिलाओं का कितना योगदान रहा है और साथ ही उनकी राजनीतिक जारुकता के आधार पर इनका विश्लेषण प्रस्तुत करना है, और साथ ही महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को भी प्रस्तुत करना है। लोकतंत्र में लोक का अर्थ जनता और तन्त्र का अर्थ व्यवस्था से हैं। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का राज्य। इसी प्रकार लोकतन्त्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रतिनिधियों के द्वारा सम्पूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। लेकिन, यहाँ एक बात उभरती है कि जनताजिसका आधा भाग महिलाओं की आबादी है तथा जो जनप्रतिनिधियों को चुनने में भी लगभग आधी ही ज़िम्मेदारी का वहन करती है, उनकी भागीदारी भारतीय लोकतंत्र में कितनी है? वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि इक्कीसवीं शताब्दी महिलाओं कीहै। हर क्षेत्र में महिलाएँ अपनी प्रतिभा और परिश्रम के झण्डें गाड़ रही हैं। यहाँ तक कि राजनीति का क्षेत्र भी इनसे अछूता नहीं है। फ़िर भी इतना अवश्य कहा जायेगा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत उतना नहीं है जितना उनकी योग्यता के हिसाब से होना चाहिए था। इस संदर्भ में तो यह कह देना भी अनुचित नहीं होगा कि आज़ाद भारत में अनेक अन्य मुद्दों के समान ही राजनीति में महिलाओं की सहभागिता पर गंभीरता के साथ उचित व वांछित कदम कम उठाए गए हैं और उन पर राजनीति ज़्यादा की जा रही है।[1]

राजनीतिज्ञ परिवारों में यदि राजनीति में आज महिलाओं की सहभागिता देखें तो एक होड़ सी लग गई है, सियासी विरासत के मामले में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी सियासतदां बनाने की। लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों की तस्वीर इस बात की खुली प्रमाणिकता है कि नामचीन राजनीतिज्ञों के बेटों के समान ही उनकी बेटियाँ भी जनता के बीच पहुँची हुई हैं और लोगों के आकर्षण का केन्द्र भी बनी हुई हैं। राजनीतिज्ञों की ये पुत्रियाँ या तो चुनाव लड़ रही हैं अथवा वे राजनीतिक पटल पर अपना जबरदस्त प्रभाव छोड़ते हुए उसे प्रभावित कर रही हैं।

इस संदर्भ में सांसद व अभिनेता स्व0 सुनीलदत्त की पुत्री प्रियादत्त रॉनकॉन शरद पंवार की पुत्री सुप्रिया सुले, स्व0 जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार, मुफ़्ती मौहम्मद सईद की पुत्री महबूबा मुफ़्ती, नाना चुड़ासामा की पुत्री शाइना एन0सी0, दिनेश सिंह की पुत्री रत्नासिंह, पी0एन0 संगमा की पुत्री अगाथा संगमा, स्व0 विजयराजे सिंधिया की पुत्री यशोधराराजे, एम0 करूणानिधि की पुत्री कनिमोदी को विशेष रूप से उल्लिखित किया जा सकता है।

ये तमाम महिलाएँ भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञों की आत्मजा हैं। इनके अतिरिक्त यदि तुलनात्मक रूप से कम चर्चित राजनीतिक क्षेत्रों में देखें तो भी स्थिति प्रगतिशील ही कही जा सकती है। इस क्षेत्र में सुशील कुमार शिंदे की पुत्री प्रनति शिंदे, एकनाथ गायकवाड़ की पुत्री वर्षा गायकवाड़, अर्जुन सिंह की पुत्री वीणा सिंह, जोधपुर महाराज की पुत्री राजकुमारी चंद्रेश और स्व0 प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन भी ऐसी ही बेटियाँ हैं, जो लोकसभा में जाने अथवा अन्यों को भेजने के प्रयास करके राजनीति में महिलाओं के रूझान की तरफ इंगित कर

रही हैं।[2]

यदि इस इंगित का तनिक भर खुलासा करते हुए आंकड़ों को जराभर छूकर देखें तो पता चलता है कि देश की संसद में महिला सांसदों की गिनती निरन्तर बढ़ती ही जा रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश से महिला सांसद भी चुनी जाती रही हैं, लेकिन प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में उसकी संख्या पर्याप्त कम रही है। पहली लोकसभा की अपेक्षा चौहदवीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या दो गुनी से भी ज़्यादा हो चुकीं हैं। प्रस्तुत तालिका में महिलाओं के संसद में बढ़ते कदमों को साफ़–साफ़ देखा जा सकता है–

लोकसभा में महिला सांसद[3]

लोकसभा	कुल सीटें	महिला उम्मीदवार	जीतीं महिला उम्मीदवार	कुल सीटों का प्रतिशत	कुल वार्षिक उम्मीदवार का प्रतिशत
पहली–1952	489	––	––	––	––
दूसरी–1957	494	45	22	4.45	48.48
तीसरी–1962	494	66	31	6.27	46.97
चौथी–1967	520	67	29	5.57	43.28
पाँचवी–1971	518	86	21	4.05	24.41
छठी–1977	542	70	19	3.50	27.14
सातवीं–1980	542	143	28	5.16	19.58
आठवां–1984	542	162	42	7.74	25.93
नौवीं–1989	543	198	29	5.34	14.64
दसवीं–1991	543	326	37	7.10	11.3
ग्यारवीं–1996	543	599	40	7.36	6.68
बारहवीं–1998	543	274	43	7.91	15.69
तेरहवीं–1999	543	284	49	9.02	17.25
चौदहवीं–2004	543	355	45	8.29	12.67
पंद्रवी–2009	543	556	59	7.00	12.44
सोहलवी–2014	543	157	61	12.96	21.00

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। इस वृद्धि क्रम में छठी लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या में संख्यात्मक दृष्टि से गिरावट आई, लेकिन महिला उम्मीदवारों के कुल प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है। ग्यारहवीं लोकसभा में रिकार्ड तोड़ 599 महिलाओं की उम्मीदवारी राजनीति में महिलाओं की सहभागिता के बढ़ते ग्राफ़ को प्रदर्शित कर रही है। प्रत्येक लोकसभा की उम्मीदवारी में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यदि 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा की संख्या को छोड़ दें तो। परन्तु इन लोकसभाओं में संख्या कम होने पर भी प्रतिशत बढ़ा है। निश्चित ही यह वृद्धि जनता द्वारा महिला प्रतिनिधियों पर जमते विश्वास तथा पुरूष राजनीतिज्ञों द्वारा जनता को दिए जाने वाले विश्वासपात का ही कारण है। वस्तुतः महिलाओं की राजनीति में बढ़ता रूझान भारतीय संसद के स्वरूप के परिवर्तित भविष्य का संकेत कर रहा है।[4]

यदि महिला मतदाताओं की स्थिति को विश्लेषित किया जाए तो निश्चित रूप से यह

बात कही जा सकती है कि महिलाओं की सक्रिय राजनीति में बढ़ती हुई रूचि इस बात को प्रमाणित करती है कि घर–परिवार को बखूबी चलाने वाली महिलायें अब देश रूपी परिवार को चलाने में भी अभी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने को आतुर दिखाई पड़ती हैं। स्थिति साफ है कि पिछले लोकसभा चुनावों में वोटिंग के आंकड़े बताते हैं कि जहाँ पुरूषों का मतदान सापेक्ष रूप में नीचे आया है वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत आगे बढ़ते हुए 53 फीसदी से भी आगे पहुँच चुका है। मतलब और संदेश साफ़ है कि अब इस नई शताब्दी में महिलाएँ अपने मत के अधिकार को न केवल समझने लगी हैं, बल्कि उसका भली प्रकार इस्तेमाल भी करने लगी हैं। विगत लोकसभा चुनावों में अर्थात चौदहवीं लोकसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनावों में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत कुल 53.30 प्रतिशत था, जबकि इसकी तुलनात्मक अध्ययन भारतीय लोकतंत्र की प्रारम्भिक स्थितियों से करें तो देखते हैं कि दूसरी लोकसभा के लिए सम्पन्न हुए मतदान में 46.63 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया था।[5] भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को संविधान के तिहत्तरवें तथा 74वें संशोधनों से कुछ बल प्राप्त हुआ है। संविधान का 85वां संशोधन विधेयक जो विगत दो दशकों से लोकसभा में निर्णय की प्रतीक्षा में धूल चाट रहा है और जिसमें महिलाओं की एक–तिहाई आरक्षण की सिफ़ारिश की गई है, जिससे स्थिति में पर्याप्त सुधार संभव है। महिलाएँ इससे ही भारतीय लोकतंत्र को उसके उद्देश्य तक ले जा सकती है। वैसे तो आधी आबादी को आधी सीटें मिलने से ही लोकतंत्र की स्वस्थता साबित होती है।[6]

इस प्रकार स्थिति साफ है कि महिलाएँ चुनाव–दर–चुनाव मतदान के लिए आगे आती चली जा रही हैं। अब वे अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य और मौलिक अधिकार के प्रयोग में हिस्सा ले रही हैं। इनमें महानगरों से दूर ग्रामीण और छोटे शहरों की साधारण महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी और उनकी सकारात्मक भूमिका निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए एक सुखद स्थिति है। राजनीति में बढ़ती महिलाओं की कामयाबी ही राजनीति में उनकी भूमिका के सकारात्मक पहलू को प्रमाणित करती है। अस्तु अब पुरूष मानसिकता के तहत महिला आरक्षण में लाख अवरोध खड़े करने पर भी राजनीति के प्रति महिलाओं का रूझान कम हो सकेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।[7] प्रस्तुत तालिका के द्वारा माहिलाओं के मतदान की रूचि का भी साफ़ पता चल रहा है–

एक दृष्टि– महिला मतदान पर

आम चुनाव	चुनाव का वर्ष	पुरूष मतदाता	महिला मतदाता	मतदान का कुल प्रतिशत
पहला	1952	आंकड़े उपलब्ध नही	आंकड़े उपलब्ध नही	61.22
दूसरा	1957	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नही	62.20
तीसरा	1962	63.31	46.63	55.42
चौथा	1967	66.73	55.48	61.33
पाँचवा	1971	60.90	49.11	55.29
छठा	1977	65.63	54.91	60.49
सातवां	1980	62.16	51.22	56.92
आठवां	1984	68.18	58.60	63.56
नौवां	1989	66.13	57.32	61.95
दसवां	1991	61.58	51.35	56.93
ग्यारहवां	1996	62.06	53.41	57.94
बारहवां	1998	65.72	57.88	61.97
तेरहवां	1999	63.97	55.64	59.99
चौदहवां	2004	61.66	53.30	57.65
पन्द्रवा	2009	60.24	55.82	58.19
सोहलवा	2014	67.09	65.63	66.40

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि पुरूषों के मतदान करने की अपेक्षा महिलाओं द्वारा मतदान करने का प्रतिशत कम है। यद्यपि इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कहा जायेगा कि महिलाओं का प्रतिशत कम होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्थिति अधिक चिन्ताजनक हो, क्योंकि आंकड़ें इस बात की गवाही दें रहे हैं कि प्रायः महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ते ग्राफ़ में ही है। जबकि महिलाओं की राजनीतिक यात्रा के मार्ग में पुरूषों के मुक़ाबले बाधाओं की कमी नहीं है।

देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि आज से पचास साल पहले भी अगर कोई महिला शहरी क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद में पहुँची, तो ग्रामीण इलाकों से भी संसद में पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या कम नहीं रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति तो प्रायः सर्वाग्रणी रही। प्रथम लोकसभा में अगर देश की राजधानी दिल्ली से सुचेता कृपलानी चुनाव जीतकर संसद में आई थीं तो शंकुतला नायर और सुभद्रा जोशी जैसी महिलाएँ भी क्रमशः उत्तर प्रदेश के गोण्डा और पंजाब के करनाल लोकसभा क्षेत्रों से संसद पहुँचीं। यदि महिलाओं की दलीय स्थिति का विश्लेषण करें तो शुरूआती आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ही एकाधिकार रहा है। जिसके चलते ज़्यादातर महिला उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से चुनकर आई थीं, लेकिन दूसरे आम चुनाव के दौरान त्रिवेंद्रम लोकसभा सीट से कुमारी एन्नीमेस्कैरीन और राजमाता कमलेंदुमती का गढ़वाल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संसद पहुँचना अपने आप में हैरत करने वाली बात थी। तीसरी लोकसभा के फूलपुर सीट से कांग्रेस पार्टी से श्रीमती विजयलक्ष्मी, पंडित सांसद चुनी जाती रही हैं। चौदहवीं लोकसभा की कई महिला सदस्य चार से ज़्यादा बार लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी अब तक छः बार संसद को सुशोभित कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा की सुमित्रा महाजन भी लगातार छः बार लोकसभा के लिए चुनी

जा चुकी हैं। इसी प्रकार मेनका गाँधी भी पाँच बार लोकसभा की सदस्या रही हैं। कहना ना होगा कि महिलाएँ अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति सजग तो हैं, लेकिन उनके जीवन की कठिनता उनके मार्ग में अवरोध बनकर आती है रहती हैं। चौदहवीं लोकसभा के लिए वर्ष 2004 में हुए चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 24 लाख, 97 हज़ार, 149 लोगों ने अपने मताधिकारी का प्रयोग किया था, जिनमें बारह लाख, ग्यारह हज़ार, नौ सौ चौरानवें महिलाएँ थीं। स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में महिलाएँ पुरूषों से थोड़ा कम मतदान कर रही हैं, लेकिन इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि महिलाओं के काम का बोझ कम कर दिया जाये और पूरे ही देश में महिलाओं को राजनीतिक वातावरण प्रदान किया जाये तो निश्चित रूप से वे अधिक संख्या में मतदान कर सकती हैं और राजनीति में अधिकाधिक सहभागिता निभाते हुए पुरूशों के मुक़ाबले, अपनी प्रकृति के अनुसार सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं।[8]

इस प्रकार आठवीं लोकसभा के लिए लोकसभा को कुल 544 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें 499 पुरूष तथा 45 महिलाएँ लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। इन कुल 45 महिलाओं में उत्तर प्रदेश से 9 महिलाएँ सांसद बनी थीं। इस प्रकार कुल सीटों की 8.27 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की थी। इसमें भी उत्तर प्रदेश महिलाओं की भागीदारी 20 प्रतिशत थी।

नौवीं लोकसभा कुल 529 सांसदों में से 28 महिलाएँ सांसद थी। जिनमें उत्तर प्रदेश से मात्र छः महिलाएँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। नौवीं लोकसभा में महिला सांसदों का कुल प्रतिशत 5.29 प्रतिशत था, जिसमें उत्तर प्रदेश का मात्र 1.13 प्रतिशत प्रतिनिधित्व था।[9]

दसवीं लोकसभा में जनता दल से श्रीमती सरोज दूबे इलाहाबाद से शीला गौतम भाजपा के टिकिट से अलीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीती थीं। लोकसभा के इसी सत्र के लिए एकबार फ़िर श्रीमती शैला कोल कांग्रेस से ही रायबरेली लोकसभा का प्रतिनिद्दित्व करने के लिए संसद में पहुँची थीं।[10]

ग्यारहवीं लोकसभा के कुल 543 सांसदों में 41 सांसद महिलाएँ थीं। इनमें उत्तर प्रदेश से मात्र सात महिलाएँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही थीं। अर्थात् कुल महिला प्रतिशत 7.55 और कुल महिला सांसदों का 17.07 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा। इस प्रकार ग्यारहवीं लोकसभा में कुल सांसदों का मात्र 1.29 प्रतिशत भागीदारी उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने निभाई।[11]

ग्यारहवीं लोकसभा के लिए चुनी गई महिलाओं की दलगत स्थिति का विश्लेषण करें तो महिलाएँ कांग्रेस से, दो महिलाएँ भारतीय जनता पार्टी से दो महिलाएँ समाजवादी पार्टी से तथा एक महिला जनता दल से संसद में पहुँची। श्रीमती मेनका गाँधी पीलीभीत से, शीला गौतम अलीगढ़ से, बेग़म नूर बानो रामपुर से, फूलन देवी मिर्जापुर से, केतकी देवी सिंह गोण्डा से, राजकुमारी रत्ना सिंह प्रतापगढ़ से और सुरक्षित सीट बासगाँव की लोकसभा सीट से श्रीमती सौभाग्यवती देवी ने महिला प्रतिनिधित्व किया था।[12]

बारहवीं लोकसभा के लिए कुल 545 जनप्रतिनिधि सांसद बनकर लोकसभा में गए। इनमें कुल 8.07 प्रतिशत के साथ 44 महिलाएँ उत्तर प्रदेश की थीं। इस 8.07 प्रतिशत में उत्तर

प्रदेश की महिला सांसदों का प्रतिशत 1.47 प्रतिशत अर्थात् 44 सांसदों में से 08 सांसद महिलाएँ उत्तर प्रदेश राज्य सें थी। जबकि लोकसभा के कुल सांसदों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का प्रतिशत 18.18 था। दलगत स्थिति का विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी से इस बार भी श्रीमती शीला गौतम अलीगढ़ से, श्रीमती कमला रानी घाटमपुर से, श्रीमती सुखदा मिश्रा इटावा से और श्रीमती इलापंत नैनीताल से जन–प्रतिनिधित्व के रूप में सांसद बनकर बारहवीं लोकसभा में पहुँची थीं। समाजवादी पार्टी के टिकिट पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीट बिजनौर से श्रीमती ओमवती देवी तथा समाजवादी की ही श्रीमती उषा वर्मा हरदोई की सुरक्षित सीट से लोकसभा में पहुँचीं। बहुजन समाज पार्टी के लिए सुरक्षित सीट घाटमपुर से कुमारी मायावती ने लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पीलीभीत से मेनका गाँधी ने भी पुनः लोकसभा में पहुँचकर महिलाओं का भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।[13]

तेरहवीं लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से कुल 08 महिलाएँ ही सांसद बनकर लोकसभा में पहुँची। इस बार कुल 543 सांसदों में 52 महिलाएँ सांसद के रूप में चुनी गईं। इस प्रकार महिलाओं का कुल प्रतिशत 9.57 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश की महिलाओं का 15.38 प्रतिशत रहा। महिला सांसदों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का प्रतिशत मात्र 1.47 ही रहा था। तेरहवीं लोकसभा के लिए निर्दलीय रूप में पीलीभीत से एक बार फ़िर श्रीमती मेनका गाँधी लोकसभा की सदस्या बनी। कांग्रेस से इस बार तीन लोकसभा महिला सदस्या बनीं। इनमें अमेठी से श्रीमती सोनिया गाँधी, रामपुर से पुनः बेगम नूर बानो और प्रतापगढ़ से फ़िर राजकुमारी रत्ना सिंह ही सांसद बनकर दिल्ली पहुँची थीं। श्रीमती शीला गौतम एक बार फ़िर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलीगढ़ से महिला सांसद के रूप में चयनित हुईं और कुमारी मायावती भी अपने पुरानें सुरक्षित क्षेत्र अकबरपुर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सांसद बनीं थीं। समाजवादी पार्टी की फूलन देवी फ़िर से मिर्ज़ापुर के लिए तथा मिश्रिख की सुरक्षित सीट के लिए श्रीमती सुशीला सरोज भी समाजवादी पार्टी से ही महिला प्रतिनिधि बनकर लोकसभा के लिए संसद में पहुँची थीं।[14]

चौदहवीं लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 49 महिलाएँ सांसदों का चयन हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश से मात्र 06 महिलाएँ ही चुनी गईं। महिलाओं का कुल प्रतिशत 8.99 था, जिसमें उत्तर प्रदेश महिला सांसदों का 1.10 प्रतिशत था। महिला सांसदों में उत्तर प्रदेश की महिला सांसदों का प्रतिशत 12.24 प्रतिशत था। चौदहवीं लोकसभा के लिए कैराना सीट के लिए राष्ट्रीय लोकदल की श्रीमती अनुराधा चौधरी, पीलीभीत से भाजपा की मेनका गाँधी कांग्रेस की सोनिया गाँधी रायबरेली से तथा समाजवादी पार्टी की रामपुर से श्रीमती पी. जयाप्रदा नहाटा, बहराइच से रूबाब सईदा और सुरक्षित सीट हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा ने महिला सहभागिता निभाई। लोकसभा के अतिरिक्त इस काल खण्ड में कुल 23 महिलाएँ राज्यसभा की सदस्या रहीं जिनमें मात्र एक महिला समाजवादी पार्टी की श्रीमती जया बच्चन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं।[15]

राज्यसभा की दलगत स्थिति में महिला सहभागिता का विश्लेषण करने से पता चहता

है कि श्रीमती शबाना आज़मी, श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली, डा. कुमारी सैलवी दास राज्यसभा में 'नोमिनेटेड मेम्बर' के रूप में महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ़ से श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती सरोज दूबे, कुमारी सरोज खापर्डे, श्रीमती उर्मिलाबेन सीपाटिल, कुमारी मावले रबेलू, श्रीमती बसन्ती शर्मा, कुमारी फरीदा टोपन और श्रीमती बीना वर्मा महिलाओं की तरफ़ से राजनीति में सहभागिता निभाते हुए राज्यसभा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इसी प्रकार श्रीमती मालती शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, श्रीमती कमला सिन्हा जनता दल से, श्रीमती जयाप्रदा नहाटा तेलगू देशम से, श्रीमती जयन्ती नटराजन टी. एम सी (एम.) भारती राय भी राज्यसभा सदस्या के रूप में राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करके महिलाओं की सहभागिता निभा रही हैं। कांग्रेस की एक और सदस्या और (श्रीमती) नजमा अकबर अली हेपतुल्ला भी राज्यसभा की सदस्या के रूप में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का निर्वहन सफ़लतापूर्वक कर रही हैं।

यदि विभिन्न मन्त्रालय के उत्तरदायित्व का भार का निर्वहन करने वाली महिला राजनीतिज्ञों पर दृष्टि डाले तो चौदहवीं लोकसभा में बत्तीस कैबिनेट मंत्रियों में दो महिला कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्रियों के (स्वतन्त्र दायित्व) के रूप में आठ में दो महिला राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) तथा चालीस राज्य मंत्रियों में मात्र छः महिला राज्यमंत्री राजनीति में महिलाओंकी सहभागिता को निभाकर महिलाओं में राजनीतिक चेतना का जागरण कर रही हैं।[16]

जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो प्रदेश शासन की स्थिति भी इससे कहीं अलग नहीं है। यहाँ भी महिलाओं के साथ दोहरी मानसिकता कार्यरत है। यही कारण है कि प्रदेश में पुरूष और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिलाओं को राजनीति में भागीदारी प्राप्त नहीं है। प्रदेश में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या 7.86 करोड़ थी और पुरूषों की जनसंख्या 8.75 करोड़ थी। स्त्री–पुरूष अनुपात 898ः 1000 था। पुरूषों के मुक़ाबले प्रदेश भर में केवल 0.89 करोड़ महिलाएँ ही कम थीं।[17]

भारतीय राजनीति में एक और महिला राजनीतिज्ञ ने महत्वर्पूण भूमिका अति सफ़लतापूर्वक निभाकर महिलाओं की राजनीतिक प्रतिभा को मुखर किया है और यह महिला है कुमारी मायावती। राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी की समर्थक मायावती लम्बे समय तक प्रदेश की मुख्यमंत्री कई सत्रों में रही है। उन्होंने कहा है कि – "हमें जेण्डर (लिंग–भेद) विषय पर आधारित ऐसी संसदीय समितियाँ गठित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें पुरूषों और महिलाओं की समाज भागीदारी अवश्य हो।"

कुमारी मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश शासन की अगुवा तथा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण सहभागिता निभाती रही हैं। वे 03 जून, 1995 से 18 अक्टूबर, सन् 1995 तक, दिनाँक 21 मार्च, 1997 से दिनाँक 21 सितम्बर सन् 1997 तक तथा 03 मई, सन् 2002 से 29 अगस्त सन् 2003 तक तीन बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके बाद पुनः 13 मई 2007 से लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का निर्वहन कर रही हैं।[18]

महिलाओं की प्रदेश शासन में जो भागीदारी प्रस्तुत अध्ययन में दिखाई गई है, उससे एक प्रश्न बड़ी ज्वलन्तता के साथ सामने आकर खड़ा होता है कि सन् 1937 से लेकर आज तक जिसमें साठ लम्बे वर्षों की अवधि स्वतंत्र भारत की भी सम्मिलित है, में प्रदेश शासन में सम्मिलित होने वाली महिलाओं की संख्या को लेकर है। इतने लम्बे काल अन्तराल में मात्र 39 महिलाएँ ही मंत्री बनीं, निश्चित ही यह स्थिति भी पुरूष प्रधान मानसिकता की ही कहानी तो कहती है। जिसका सीधा सा अर्थ है कि संवैधानिक समानता के उपरांत भी महिलाएँ उस अधिकार को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं, जो संविधान में उसे प्रदान किए गए हैं। उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह सब तो संविधान तथा कानून की पुस्तकों तक ही सीमित रहा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है, उन्हें राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता से अवगत कराया जाय। उन्हें उनके कार्यों में प्रोत्साहन व सहयोग दिया जाय। महिला सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता व राजनैतिक, सामाजिक अधिकारों से अवगत कराया जाय। राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी का अवसर देना, उन पर एहसान नहीं बल्कि महिलाओं का यह स्वयंभू अधिकार है। महिलाओं में सकारात्मक राजनीतिक धारणा तथा आत्म–विश्वास विकसित हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वे पुरूषों से किसी भी प्रकार से कम क्षमता नहीं रखती है। आज आवश्यकता इस तथ्य की है कि उन्हें सहयोग, शिक्षा तथा प्रशिक्षण एवं राजनैतिक पद देकर, उन्हें उनकी चरम क्षमता से अवगत कराया जाय।

संदर्भ

1. दैनिक जागरण– *संगिनी,* शनिवार, 21 मार्च, 2009, पृष्ठ–**1**
2. दैनिक जागरण– *संगिनी,* 21 मार्च, 2009, पृष्ठ–**1**
3. दैनिक जागरण– *संगिनी,* 21 मार्च, 2009, पृष्ठ–**1**
4. अजय जायसवाल : 159 सीटों पर कोई महिला प्रत्याशी नहीं 'अमर उजाला', 5 मई, 2007, पृष्ठ–**10**
5. पूरन विष्ट : आधे वोटर आए नहीं, हो गया विधायकों का चुनाव हिन्दुस्तान', 16 अप्रैल, 2007, पृष्ठ–**9**
6. दैनिक जागरण– *संगिनी,* 21 मार्च, 2009, पृष्ठ–**2**
7. दैनिक जागरण– *संगिनी,* 21 मार्च, 2009, पृष्ठ–**2**
8. राजेश शर्मा : *बहुत कठिन है डगर पोलिंग की,* 'दैनिक जागरण' 25 अप्रैल, 2009, पृष्ठ–**11**
9. अमिताभ कुमार मिश्रा : *भारत में ग़ैर कांग्रेसी सरकारें,* पृष्ठ–**27**
10. *उत्तर प्रदेश द्वारा विधानसभा सदस्यों की जीवन परिचय*–1993, विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, 1994, पृष्ठ–**165**
11. दैनिक जागरण, 4 अप्रैल, 2004, संगिनी, पृष्ठ–**3**

12. *उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय–1996*, विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, 1997, पृष्ठ–**186**
13. इण्डिया टुडे, 31 मार्च, 1994, पृष्ठ–**24**
14. *मायावती का साक्षात्कार,* दैनिक जागरण, 10 मार्च, 1994, पृष्ठ–**14**
15. अमिताभ कुमार मिश्रा– *भारत में गैर कांग्रेसी सरकारें,* दैनिक जागरण, 24 मार्च, 1998, पृष्ठ–**9**
16. कुमारी मायावती : *बहुजन समाज और उसकी राजनीति,* पृष्ठ–**49**
17. मधु राठौड़ : *पंचायती राज और महिला विकास,* पृष्ठ–**105–106**
18. मधु राठौड़ : *पंचायती राज और महिला विकास,* पृष्ठ–**108**